



मा0कू0अ0प0-केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान  
ICAR-CENTRAL SHEEP & WOOL RESEARCH INSTITUTE  
अविकानगर (तहसील-मालपुरा जिला टोंक) वाया : जयपुर राजस्थान (भारत) 304501  
AVIKANAGAR (MALPURA DISTT. TONK) RAJASTHAN (INDIA) 304501

पंजीकृत

क्रमांक: 6(108)एसपी/2005/खण्ड-प्रथम/1960

दिनांक 09.11.2016

सीमित निविदा/कोटेशन-प्रपत्र आमंत्रण सूचना

संस्थान के पशुधन उत्पाद एवं प्रोदयोगिकी अनुभाग में स्लाटर/वध किये गये जानवरों जैसे भेड़, मेढा, बकरा एवं बकरी का मांस, अन्य अंग उठाने/निस्तारण करने हेतु वित्तिय वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 के लिये वार्षिक कार्य अनुबंध के आधार पर सम्पन्न करने के लिये संबंधित निविदादाताओं/ठेकेदारों से उचित एवं उच्चतम दरें प्रस्तुत करने हेतु बन्द लिफाफे में सीमित निविदा-प्रपत्र /कोटेशन आमन्त्रित किये जाते हैं। अतः संबंधित निविदादाता/ठेकेदार निम्नलिखित नियम एवं शर्तों के अनुसार उक्त प्रयोजनार्थ दिनांक 21.11.2016 तक निर्धारित कोटेशन/सीमित निविदा-प्रपत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। संस्थान द्वारा जारी सीमित निविदा-प्रपत्र/कोटेशन आमंत्रण सूचना की जानकारी संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

संस्थान के स्लाटर /वध किये गये जानवरों जैसे (भेड़,मेढा,बकरा एवं बकरी) का मांस तथा अन्य अंग आदि उठाने एवं उससे से सम्बन्धित कार्य के निस्तारण के लिए वार्षिक अनुबंध के आधार पर सम्पन्न करने की नियम एवं शर्तें निम्न प्रकार हैं:

1. सीमित निविदा-प्रपत्र/कोटेशन संस्थान द्वारा जारी प्रदत्त प्रपत्र पर ही स्वीकार की जायेगी। शर्त एवं तार द्वारा भेजी गई तथा देरी से प्राप्त निविदाये स्वीकार नहीं की जायेगी। साथ ही पेन नं० भी अंकित करते हुए उसकी फोटो प्रतिलिपि संलग्न करना अतिआवश्यक है, इसके बिना सीमित निविदा-प्रपत्र/कोटेशन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
2. स्लास्टर/वध किये गये जानवरों जैसे (भेड़, मेढा, बकरा एवं बकरी) का मांस, अन्य अंग आदि की उचित एवं उच्चतम दरों को ही स्वीकार किया जायेगा।
3. सफल निविदादाता/ठेकेदार को अनुबंध एक वर्ष के लिये दिया जायेगा। यदि कार्य संतोषप्रद पाया जाता है तो अनुबंध आगे बढ़ाया जा सकता है।
4. निविदादाता/ठेकेदार को निविदा-प्रपत्र के साथ रु. 5,000/-अक्षरे पांच हजार रुपये मात्र अमानत राशि बतोर नकद अथवा डिमांड ड्राफ्ट/एफ०डी०आर० के माध्यम से इस संस्थान के पक्ष में जो कि ICAR UNIT CSWRI, Avikanagar (Malpura) के नाम SBBJ Malpura Branch (10088) के पक्ष में देय हो के रूप में जमा कराना होगा। बिना अमानत राशि के कोई भी निविदा-प्रपत्र स्वीकार नहीं की जायेगी। निविदा-प्रपत्र के साथ जमा कराई गई अमानत राशि सफल निविदा-प्रपत्र प्रस्तुत कर्ता को जमानत राशि जमा कराने तथा कार्य आदेश जारी करने के बाद ही लौटाई जायेगी। नियमानुसार असफल निविदादाताओं को अमानत राशि लौटा दी जायेगी। सफल निविदादाता/ठेकेदार को कार्य आदेश से पूर्व जमानत राशि बतोर रु. 5,000/-अक्षरे पांच हजार रुपये मात्र डिमांड ड्राफ्ट/एफ०डी०आर० के माध्यम से जमा करानी होगी अन्यथा निविदा-प्रपत्र के साथ जमा कराई गई अमानत राशि जब्त कर ली जायेगी।
5. संस्थान के उक्त अनुबंध कार्य के लिए निविदादाता/ठेकेदार एवं उसके प्रतिनिधि की ओर से किसी भी तरह का व्यवधान या नुकसान होने पर अनुबंध को निश्चित समय अवधि से पूर्व समाप्त किया जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में अमानत/जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी।
6. निविदादाता/ठेकेदार या उसके प्रतिनिधि को संस्थान के उक्त अनुबंध कार्य से संबंधित अधिकारियों /कर्मचारियों के साथ शिष्टाचार/मधुर व्यवहार रखना होगा अन्यथा ठेका समयावधि से पूर्व भी समाप्त किया जा सकता है।
7. जानवरों के वध करने के समय, जानवरों की चमड़ी उतारने का कार्य एवं पेट, आंते धोने का कार्य निविदादाता/ठेकेदार को ही करना होगा।
8. अनुभाग/प्रयोगशाला के द्वारा बेचा गया मांस एवं अन्य सामान तथा निविदादाता/ठेकेदार के पास बचा हुआ कोई भी मांस इत्यादि सामान प्रयोगशाला/अनुभाग में डिफ्रिज में नहीं रखा जायेगा। निविदादाता/ठेकेदार द्वारा उठाये गये मांस इत्यादि उसी दिन ले जाना होगा।
9. जानवरों का वध कार्यालय समय में किसी भी समय किया जा सकता है एवं जरूरत होने पर अवकाश के दिन भी किया जा सकता है। जानवरों के वध की संख्या प्रायोगिक वैज्ञानिक के द्वारा एवं अनुभाग के वैज्ञानिक एवं प्रभारी के द्वारा ही तय किया जायेगा।
10. वध किये गये जानवरों का मांस, स्कीन एवं अन्य अंग उसी दिन नगद भुगतान करके उठाना होगा। इस सम्बंध में जानवरों के वध करने की तिथि संबंधित प्रभारी, पशुधन उत्पाद एवं प्रोदयोगिकी अनुभाग से स्वयं निविदादाता/ठेकेदार को ही मालूम करना होगा। सामान/माल समय पर नहीं उठाने पर जो भी नुकसान होगा उसका हर्जाना स्वयं निविदादाता/ ठेकेदार को नगद जमा कराना होगा अन्यथा हर्जाने की राशि जमानत राशि में से काट ली जायेगी।

11. निविदादाता/टेकेदार की ओर से या उनके प्रतिनिधि द्वारा टेके के दौरान संस्थान की सम्पत्ति को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाया जाता है तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता/ टेकेदार की होगी तथा नुकसान की भरपाई निविदादाता/टेकेदार को नगद जमा करनी होगी। इस सम्बंध में संस्थान के निदेशक महोदय का निर्णय ही अन्तिम होगा एवं वह निर्णय निविदादाता/टेकेदार को मान्य होगा।
12. निविदादाता/टेकेदार द्वारा जमा कराई गई अमानत राशि/जमानत राशि का भुगतान अनुबन्ध की समय अवधि के दौरान अनुबन्ध कार्य संतोषप्रद तरीके से पूर्ण होने के उपरान्त ही लौटाई जायेगी।
13. अनुबन्ध कार्य समय पर पूर्ण नहीं होने की दशा में निविदादाता/टेकेदार की जमा करायी गयी अमानत राशि/जमानत राशि को जब्त करते हुए अनुबन्ध को निरस्त कर दिया जायेगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं निविदादाता/टेकेदार की होगी।
14. संस्थान के निदेशक महोदय के पास बिना कोई कारण बताये किसी एक अथवा सभी निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार पूर्ण रूप से सुरक्षित है।
15. निविदा-प्रपत्र/कोटेशन को पूर्ण रूप से भरकर बन्द लिफाफे में कार्यालय को निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत प्रस्तुत करना होगा तथा उसके ऊपर स्लाटर/वध किये गये जानवरों, भेड़, मेढा, बकरा एवं बकरी का मांस, अन्य अंग आदि उठाने का अनुबन्ध वर्ष 2016-17 एवं 2017-18, पत्रावली क्रमांक 6(108)एसपी/05/वोल-प्रथम/ एवं अंतिम दिनांक 21-11-2016 स्पष्ट अक्षरों में अंकित करना होगा।
16. दरें अंको व शब्दों दोनों में स्पष्ट रूप से लिख कर प्रस्तुत करनी होगी। प्रस्तुत दरें आदि में किसी प्रकार की काट-छॉट नहीं होनी चाहिए। यदि दरों में किसी प्रकार की काट-छॉट होती है तो काट-छॉट पर निविदादाता/टेकेदार को हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा।

सहायक प्रशासनिक अधिकारी

प्रति:

1. प्रभारी, प्रशा0 अनु0 द्वितीय
2. प्रभारी, वित्तिएवं लेखा अनुभाग
3. प्रभारी, पशुधन उत्पाद एवं प्रोदयोगिकी अनुभाग
4. प्रभारी, सुरक्षा अनुभाग
- ✓ 5. प्रभारी ए0के0एम युनिट को भेजकर निवेदन हे कि संस्थान वेबसाईट पर प्रकाशित करने का श्रम करें।  
स्तान्नी

सहायक प्रशासनिक अधिकारी



भा0कृ0अ0प0-केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान  
अविकानगर (मालपुरा जिला टोंक) वाया जयपुर राजस्थान (भारत) 304501



पत्रावली क्रमांक 6(108)/एसपी/2005/खण्ड-प्रथम/

दिनांक: 09.11.2016

सीमित निविदा/कोटेशन-प्रपत्र

1. सीमित निविदा-प्रपत्र/कोटेशन प्राप्त करने की अंतिम तिथि एवं समय : दिनांक 21-11-2016 दोपहर बाद 1-00 बजे तक
2. सीमित निविदा-प्रपत्र/कोटेशन खोलने की तिथि एवं समय : दिनांक 21-11-2016 को दोपहर बाद 3-00 बजे से
3. सीमित निविदा-प्रपत्र/कोटेशन की मान्य अवधि : 120 दिन
4. अमानत धनराशी : रूपये 5,000/- (रूपये पाँच हजार मात्र)

संस्थान में स्लाटर/वध किये गये जानवरो जैसे (भेड़,मेंढा ,बकरा एवं बकरी) का मांस एवं अन्य अंगो को उताने (निस्तारण करने) के कार्य को अनुबन्ध के आधार पर वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 की नियम एवं शर्त आदि का पूरा विवरण इस प्रकार है ।

क्र० सं०	सामान का विवरण	जानवरो के नाम	प्रति किग्रा/नग/सेट	दर प्रति किग्रा०/नग/सेट ; अंको एवं शब्दों में
1. *	हड़डी सहित मांस ,तीन वर्ष तक	भेड़, मेंढा	प्रति किग्रा	
2. *	हड़डी सहित मांस ,तीन वर्ष तक	बकरा, बकरी	प्रति किग्रा	
3.	बिना हड़डी मांस ,तीन वर्ष वाले	भेड़, मेंढा	प्रति किग्रा	
4.	बिना हड़डी मांस ,तीन वर्ष वाले	बकरा, बकरी	प्रति किग्रा	
5.	आफल्स ,फैफडा, तिल्ली, चर्बी, अंडकोष, गुर्दा इत्यादि	भेड़, मेंढा	प्रति किग्रा	
6.	आफल्स ,फैफडा, तिल्ली, चर्बी, अंडकोष, गुर्दा इत्यादि	बकरा, बकरी	प्रति किग्रा	
7.	सिर व खुर ,सभी उम्र वाले	भेड़, मेंढा	प्रति सेट	
8.	सिर व खुर ,सभी उम्र वाले	बकरा, बकरी	प्रति सेट	
9.	पेट व आँते ,सभी उम्र वाले	भेड़, मेंढा	प्रति सेट	
10.	पेट व आँते ,सभी उम्र वाले	बकरा, बकरी	प्रति सेट	
11.	बडी खाल ऊन सहित ,जिन्दा 20 किग्रा से ऊपर जानवर	भेड़, मेंढा	प्रति नग	
12.	बडी खाल ऊन रहित ,जिन्दा 20 किग्रा से ऊपर जानवर	भेड़, मेंढा	प्रति नग	
13.	छोटी खाल ऊन सहित ,जिन्दा 20 किग्रा से नीचे जानवर	भेड़, मेंढा	प्रति नग	
14.	छोटी खाल ऊन रहित ,जिन्दा 20 किग्रा से नीचे जानवर	भेड़, मेंढा	प्रति नग	
15.	बडी खाल ; छः माह, छः माह से ऊपर	बकरा, बकरी	प्रति नग	
16.	छोटी खाल ;छः माह से नीचे वाले	बकरा, बकरी	प्रति नग	
17.	अगर किसी जानवर का सिर व खुर काटकर या अन्दर के किसी पार्ट को नमूना के लिए निकाला जाता है	भेड़, मेंढा, बकरा, बकरी	प्रति नग	
18.	अगर अच्छी तरह से हड़डी का मांस, चर्बी हटा दिया जाता है तो हड़डी की कीमत	भेड़, मेंढा, बकरा, बकरी	प्रति किलो ग्राम	

तीन वर्ष से 5 वर्ष तक के जानवरों का विवरण				
19.	हड्डी सहित मांस ; प्रायोगिक, अप्रायोगिक किसी तरह का भी जानवर	भेड़, मेढा	प्रति किग्रा	
20.	हड्डी सहित मांस ; प्रायोगिक, अप्रायोगिक किसी तरह का भी जानवर	बकरा, बकरी	प्रति किग्रा	
21.	बिना हड्डी मांस	भेड़, मेढा, बकरा, बकरी	प्रति किग्रा	
5 वर्ष से ऊपर वाले जानवरों का विवरण				
22.	हड्डी सहित मांस ; प्रायोगिक या अप्रायोगिक किसी तरह के भी जानवर	भेड़, मेढा	प्रति किग्रा	
23.	हड्डी सहित मांस ; प्रायोगिक या अप्रायोगिक किसी तरह के भी जानवर	बकरा, बकरी	प्रति किग्रा	
24.	बिना हड्डी मांस	भेड़, मेढा, बकरा, बकरी	प्रति किग्रा	

**\* सीमित निविदा-प्रपत्र/कोटेशन में अधिकतम दरदाता का निर्धारण कम संख्या 1 एवं 2 में दी गई दरों के आधार पर निर्धारित किया जायेगा । उपर्युक्त प्रक्रिया में अधिकतम दरदाता को अन्य सामान के लिए अन्य निविदाता/ठेकेदार द्वारा दी गई अधिकतम दर को मान्य करना होगा । जिसके लिए अधिकतम दरदाता को बुलाकर आपसी बातचीत (नेगोशियेशन) किया जायेगा ।**

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने सीमित निविदा-प्रपत्र/कोटेशन में दर्शायी गई सभी नियम व शर्तें भली-भांति पढ़ ली है तथा मुझे यह नियम व शर्तें पूर्णरूप से यह स्वीकार है। साथ ही मैं यह भी वचन देता हूँ कि मुझे व मेरे प्रतिनिधि को उपर्युक्त निविदा-प्रपत्र/किटकेशन में दर्शाये गये कार्यों का पूर्ण ज्ञान है।

मैं यह भी वचन देता हूँ कि मैं भारत / राजस्थान सरकार के प्रचलित सभी प्रकार के श्रमिक नियमों का पूर्ण रूप से पालन करूंगा तथा मेरे द्वारा लगाये गये प्रतिनिधियों / मानवशक्तियों की मजदूरी का भूगतान समय-2 पर निर्धारित दैनिक मजदूरी दर से करूंगा। यह मेरे / हमारे संज्ञान में भली-भांति से ज्ञात है कि आपके द्वारा उपर्युक्त कार्य हेतु प्राप्त निविदाओं में आप उच्चतम अथवा किसी अन्य निविदाओं को स्वीकार करने हेतु बाध्य नहीं हैं एवं सक्षम अधिकारी महोदय द्वारा लिया गया निर्णय मुझे / हमें पूर्णरूप से मान्य है । कार्य अनुबन्ध की अवधि समाप्त होने के उपरान्त मेरा व मेरे द्वारा लगाये गये प्रतिनिधियों का इस संस्थान से जोब कोन्टेक्ट के अलावा कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा और ना ही मैं किसी प्रकार का संस्थान के खिलाफ कोई कार्यवाही करूंगा ।

हस्ताक्षर निविदादाता

निविदादाता का नाम

पिता का नाम

पूरा पता

पिनकोड नं०

मोबाइल नं०

पेनकार्ड नं०

पेनकार्ड की फोटो प्रतिलिपि संलग्न करें